झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय :– **खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में धान की अधिप्राप्ति करने के संबंध में।**

राज्य को खाद्यान्न में स्वाबलंबी होने के लिए धान अधिप्राप्ति की आवश्यकता एवं महत्त्व स्वतः स्पष्ट है। खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में धान अधिप्राप्ति हेतु 672 लैम्पस/ पैक्स खोले गये थे। खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में उत्साहवर्द्धक परिणाम तथा किसानों को सीधे लाभ एवं उनकी उपज की सही एवं उचित मूल्य के फलस्वरूप सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के लिए भी लगभग 1000 धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने एवं वृहत पैमाने पर किसानों को विचौलियों से बचाने के लिए किसानों से सीधे 4 (चार) लाख टन धान क्रय करने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा संसूचित अनुमान पर आधारित है। राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में धान अधिप्राप्ति करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के अलावे अन्य एजेन्सियों की नियुक्ति कर उनके द्वारा किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति कर एवं उसे मिलिंग करवा कर भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाना है।

2. राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के दौरान भारतीय खाद्य निगम, पैक्स (Primary Agriculture Credit Co-operative Societies) एवं लैम्पस (Large Area Multipurpose Co-operative Societies) अधिप्राप्ति अभिकरण होंगे एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड धान की अधिप्राप्ति हेतु नोडल अभिकरण होगा। सहकारिता विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3. भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत निर्धारित किया गया है :–

धान	–	'साधारण'	रू0 1250 /–प्रति क्वींटल
धान	–	'ग्रेड ए'	रू0 1280 /–प्रति क्वींटल

4. पैक्स एवं लैम्पस के द्वारा अधिप्राप्ति किया गया धान एवं उस धान का परिवर्तित कस्टम मिल्ड चावल (उसना) का सत्यापन संबंधित जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, द्वारा किया जायेगा। नोडल अभिकरण को 1.0% (एक प्रतिशत) प्रशासकीय शुल्क (अभिकरणों को देय 2.5% प्रशासकीय शुल्क में से) देय होगा। पैक्स एवं लैम्पस को MSP का 2.5% कमीशन एवं 1.5% प्रशासकीय शुल्क देय होंगे। खरीफ विपणन मौसम 2012–13 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य सभी इन्सिडेंटल चार्जेज पैक्स एवं लैम्पस को देय होंगे। खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के लिए स्वीकृत इन्सिडेंटल चार्जेज भारत सरकार, खाद्य, सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्रांक 192 (22)/2012-FC.A/cs, दिनांक 01.11.2012, द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसकी छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर है।

5. अधिप्राप्ति कार्य करने के लिए पैक्स एवं लैम्पस का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा समितियों के चयन से पहले उनके द्वारा पूर्व के वर्षों में अधिप्राप्ति अथवा अन्य कार्य की उपलब्धियाँ एवं उनकी

क्रियाशीलता को देखते हुए चयन किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा चयन किये गये लैम्पस एवं पैक्स का अनुमोदन सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, द्वारा किया जायेगा तथा उपायुक्त को संसूचित किया जायेगा।

6. किसानों से समय पर धान की अधिप्राप्ति करने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में अनुमोदित सूची अनुसार (पैक्स एवं लैम्पस) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधे धान की खरीद की जाएगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी अवस्था में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर धान बिक्री करने के लिए बाध्य न होना पड़े।

7. भारतीय खाद्य निगम सहित पैक्स एवं लैम्पस को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में समुचित अधिप्राप्ति हेतु उनके पास पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है और इन कारणों से अधिप्राप्ति का कार्य बाधित नहीं हो।

सभी एजेन्सी धान अधिप्राप्ति हेतु सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्त् प्रयास करेंगे।

8. धान अधिप्राप्ति कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण अत्यावश्यक होगा ताकि धान का उचित मूल्य किसानों को प्राप्त हो सके। इस हेतु जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर निम्न प्रकार से अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है :-

उपायुक्त	–	अध्यक्ष।
जिला सहकारिता पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी	–	सदस्य।
जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य।
जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	–	सदस्य।
जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	–	सदस्य।
सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ	–	सदस्य।
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी	–	सदस्य।
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य।

9. प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	–	अध्यक्ष।
प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव।
प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य।
प्रखण्ड अन्तर्गत सभी संबंधित लैम्प एवं पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव	–	सदस्य।

10. उपरोक्त समितियों के द्वारा निम्नांकित कार्य किये जायेंगें –

- क्षेत्र में धान अधिप्राप्ति के संबंध में पर्याप्त प्रचार–प्रसार।
- लैम्पस/पैक्स के माध्यम से किसानों की सूची तैयार करना, जिनके द्वारा धान विक्री की संभावना है।
- किसानों से धान अधिप्राप्ति करने हेतु खाली बोरों की व्यवस्था करना।
- किसानों को बैंक के a/c payee cheque के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था।
- गुणवत्तापूर्ण धान को प्राप्त करना तथा धान के भंडारण की उचित व्यवस्था करना।
- केन्द्रों के भण्डारण पंजी, क्रय पंजी, भुगतान पंजी आदि का सुचारू रूप से संधारण सुनिश्चित करवाना।
- धान मिलिंग के लिए धान मिल्स का सर्वेक्षण एवं मिलिंग हेतु व्यवस्था एवं तत्संबंधी आदेश निर्गत करना।

- धान मिल में मिलिंग हेतु भेजने की व्यवस्था एवं गुणवत्तापूर्ण कस्टम मिल्ड चावल को भारतीय खाद्य निगम के संबंधित नजदीक के गोदाम में आपूर्ति करने हेतु भेजने की व्यवस्था करना।
- FCI को विपत्र प्रेषित करना तथा उनसे राशि प्राप्त करना।

11. राज्य स्तर पर धान अधिप्राप्ति व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने के लिए समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है।

विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष।
सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	–	सदस्य।
सचिव, सहकारिता विभाग	–	सदस्य।
सचिव, कृषि विभाग	–	सदस्य।
विशेष सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	–	सदस्य सचिव।
महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	–	सदस्य।
प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम	–	सदस्य।
निबंधक सहयोग समितियाँ	–	सदस्य।

12. KMS 2011–12 की तरह KMS 2012–13 के दौरान भी धान अधिप्राप्ति का सम्पूर्ण कार्य पैक्स एवं लैम्पस के द्वारा संपादित किया जायेगा। सहकारिता विभाग एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्त मामले विभाग के द्वारा धान अधिप्राप्ति के संबंध में विचार–विमर्श किया जायेगा एवं यदि किसी प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता होगी तो आपसी सहमति से संशोधन किया जायेगा। इस बीच लैम्पस एवं पैक्स द्वारा क्रय किये गये धान को धान की मिलिंग करवाकर परिवर्तित उसना चावल भारतीय खाद्य निगम के संबंधित गोदामों में आपूर्ति किया जायेगा। आपूर्ति किये गये सी0एम0आर0 का विपत्र झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा Enforcement करवाकर उसे भारतीय खाद्य निगम को भुगतान हेतु भेजा जायेगा। किसानों को धान का भुगतान एवं भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति किये जाने वाले चावल से संबंधित खर्च का ब्योरा जिला आपूर्ति पदाधिकारी की देख–रेख में संधारित किया जायेगा एवं लेखा की सारी जिम्मेवारी जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी।

13. उपरोक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक लैम्स एवं पैक्स की स्थापना कर किसानों से धान की अधिप्राप्ति कर उन्हें account payee cheque द्वारा भुगतान किया जाएगा। क्रय रजिस्टर में संबंधित किसानों का पूर्ण विवरण यथा नाम, पिता का नाम, पत्राचार का पता, फोन/मोबाईल नम्बर (यदि उपलब्ध हो), पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र का विवरण, उसके पास जमीन का कुल रकबा, क्रय की तिथि, भुगतान किए गए account payee cheque का नम्बर एवं दिनांक, किसान का हस्ताक्षर, क्रय अधिकारी का हस्ताक्षर इत्यादि अद्यतन दर्ज होना चाहिए। प्रत्येक किसान से जमीन से संबंधित अद्यतन भूमि कर का रसीद की सत्यापित प्रतिलिपि एवं पहचान पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करनी होगी। किसी भी अवस्था में किसानों को नगद या बेयरर चेक द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते समय क्रय एवं अन्य रजिस्टर, अन्य संबंधित कागजातों तथा चेक बुक की जाँच की जाय ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके एवं अधिप्राप्ति कार्य बाधित न हो।

14. भारत सरकार द्वारा KMS 2012–13 के लिए धान एवं चावल की स्पेसिफिकेशनस् की सूचना विभाग द्वारा सभी उपायुक्त को करायी जायेगी एवं जिलों द्वारा इन स्पेसिफिकेशनस् के अनुसार ही धान का क्रय किया जायेगा एवं CMR की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को दी जायेगी। अतः यह अनिवार्य है कि किसानों में समुचित प्रचार एवं प्रसार कराया जाए कि वे केवल साफ–सुथरा एवं सूखा धान ही संबंधित केन्द्रों में लायें ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो। प्रखण्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रखण्ड कृषि

पदाधिकारी तथा प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी जवाबदेह होगें। अतः ग्राम सभाओं का आयोजन कर किसानों को समूचे कार्यक्रम एवं निर्धारित प्रावधानों से अवगत कराया जाये।

15. किसानों से सीधे धान की अधिप्राप्ति अभिकरणों द्वारा अपने बोरे में की जाएगी न कि किसान के बोरे में। धान की समय पर मिलिंग एवं कस्टम मिल्ड चावल की आपूर्ति हेतु अभिकरणों द्वारा चावल मिलों से शीघ्रातिशीघ्र एग्रीमेंट/संविदा कर लेना होगा, जिससे मिलिंग में अनावश्यक विलंब न हो। चावल मिलों द्वारा चावल की आपूर्ति नये बोरे में तथा सरकार के नियमानुसार प्रत्येक बोरे में उचित रूप से stencilling कर तथा machine stitching करवाकर 50 किलो प्रति बोरे की दर से (बोरे के वजन को छोड़कर) भरकर करनी होगी।

16. नये बोरे का प्रावधान अभिकरणों द्वारा करना होगा, जिन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित बोरे का मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय होगा। चूँकि झारखण्ड राज्य में जन–वितरण प्रणाली के माध्यम से मुख्यतः उसना चावल की खपत होती है, अतः अभिकरणों द्वारा धान को केवल उसना चावल में परिवर्तित कर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में आपूर्ति करना होगा। धान का उसना चावल में परिवर्तन प्रतिशत 68 % निर्धारित है।

17. भारत सरकार द्वारा निर्धारित इन्सिडेंटल चार्जेज के अलावे धान को अभिकरणों के गोदाम से चावल मिलों तक ले जाने एवं कस्टम मिल्ड चावल को चावल मिलों से भारतीय खाद्य निगम के संबंधित गोदामों तक ले जाने हेतु अलग से भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमान्य परिवहन शुल्क देय होगा।

18. इस हेतु अभिकरणों द्वारा अपेक्षित है कि अपने क्रय केन्द्रों की सूची एवं साथ जुड़े हुए सबसे नजदीक के चावल मिलों की सूची, जिससे अधिप्राप्ति किए गए धान की मिलिंग हेतु अनुबंध किया गया है, भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराये एवं क्रय केन्द्रवार प्रत्येक दिन क्रय किए गए धान की मात्रा का विवरण भारतीय खाद्य निगम, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं इस विभाग को समय पर दें।

19. खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के दौरान किसानों से धान अभिप्राप्ति की अवधि संकल्प निर्गत की तिथि से 30.04.2013 तक होगी एवं परिवर्तित चावल (CMR) की भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्दगी की अवधि संकल्प निर्गत की तिथि से 31.10.2013 तक होगी। सभी अभिकरणों द्वारा दिनांक 30.4.2013 तक अधिप्राप्ति किये गए धान को मिलिंग कराकर संपूर्ण चावल की मात्रा दिनांक 31.10.2013 तक भारतीय खाद्य निगम के संबंधित गोदामों में आपूर्ति कराना अनिवार्य होगा एवं इसका भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाएगा। चूँकि किसानों से अधिप्राप्ति किया गया धान Central Pool के लिए माना जाएगा, अतः कुल अधिप्राप्ति किए गए धान का परिवर्तित चावल अभिकरणों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 31.10.2013 तक आपूर्ति करने की बाध्यता होगी।

20. किसानों से धान क्रय करने हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पास रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में वर्ष 2011–12 में 318.96 करोड़ रूपये की पूँजी उपलब्ध है। किसानों से क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान करने हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा जिलों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। आवश्यकता अनुसार बैंकों से ऋण लिया जा सकेगा।

21. खरीफ विपणन मौसम (KMS) 2012–13 में धान अधिप्राप्ति संकल्प निर्गमण की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

ह0/–

(अजय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा0 प्र0–04/अधिप्राप्ति/06/2012 – /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय प्रेस, डोरण्डा, राँची को इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा0 प्र0–04/अधिप्राप्ति/06/2012 – /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा0 प्र0–04/अधिप्राप्ति/06/2012 – /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एंव उपभोक्ता मामले विभाग, के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम एवं असैनिक आपूर्ति निगम, झारखण्ड, राँची/महा प्रबंधक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम, महावीर टॉवर मेन रोड़, राँची/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा0 प्र0–04/अधिप्राप्ति/06/2012 –3937/राँची, दिनांक – 22-12-2012

प्रतिलिपि – सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली,/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 16–20 वरखम्भा रोड, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

21/12

सरकार के सचिव।

अनुलग्नक I

विशेष सचिव

U.S.(P)
6/11/12

F.No.192(22)/2012-FC.A/cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated the 1st November, 2012.

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of Jharkhand,
Ranchi.

Subject: Fixation of the **Provisional rates of Custom Milled Rice (CMR) (FAQ)and cost** of new 50 kg. Gunny Bags used by the Government of **Jharkhand** and its agencies for the procurement of **Custom Milled Rice(FAQ)** for the Central Pool during **the Kharif Marketing Season 2012-13.**

Sir,

I am directed to convey the approval of the Government of India for payment of the following **provisional rates of Custom Milled Rice (CMR) (FAQ)** for Central Pool under the price support operation to the Government of **Jharkhand** and its agencies during the **Kharif Marketing Season 2012-13** item wise details of procurement incidental are annexed.

Commodity	Common	(Rs./qtl.) Grade 'A'
Par-boiled rice	**2147.00**	**2194.63**

Note:

This costing is for new gunny bags only. In case procurement of paddy is done in once used gunnies, separate orders will be issued for the same.

2. The payment of Commission to Societies will be subject to the conditions laid vide this Deptt.'s order No.192(4)/2003-FC.A/cs(Vol-II) dated 16.10.2012

3. In addition to the above, the following elements/items are also to be reimbursed to the State Government:

(i) Guarantee Fee, if it is actually paid by the agencies to the State Government for obtaining credit, would be payable on actual basis, subject to a maximum of 1/8% of MSP worked out on the estimated quantity of paddy delivered to FCI procured under Price Support Scheme (PSS) for the Central Pool. No interest on delayed payment on this account will be payable.

(ii) for transportation of paddy from storage point to mills and of rice from mills to storage point, transportation charges will be payable on the basis of the rates fixed by the district Collectors of the State or FCI's rate, whichever is lower from 0 km onwards for the actual distances.

4. Milling charges have been allowed @Rs.20 per qtl. for par-boiled rice (excluding Rs.5 per qtl. as transportation charges upto 8 kms. from the mills on each side from storage point to mills and from mills to godowns on paddy as well as rice).

5. The Custom Milled Rice would be delivered by the procuring agencies to FCI, in new 50 kg bags only, in its local godowns upto the scale point and the stacking in the FCI godown will be done by FCI.

6. The rate/cost of Custom Milled Rice (CMR) and other elements as indicated above are provisional. The State Government should send its claims for final incidentals alongwith accounts audited by the auditors appointed by the Comptroller and Auditor General and documentary proof and detailed justification for each item at the earliest after the end of the season.

7. To ensure proper utilization of funds/subsidy being released by the Government of India, the FCI may insist on requisite certificates from the State Government and its agencies before release of incidentals on account of statutory charges i.e. Market Fee, RD Cess etc. as per past practice.

8. These rates/cost sheets are only for paddy/CMR procured by the State agencies/FCI and not for any other party acting either on behalf of such State agency or the FCI. These rates would not be benchmarked to fix rate for such parties.

9. This issues with the approval of the Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1967/ FA /12 dated 26.10.2012.

Yours faithfully,

Dated 1.11.2012

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele: (011) 23073798

Copy to:

1. The Executive Director (Procurement), Food Corporation of India, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
2. The Executive Director (Finance), Food Corporation of India, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
3. The Senior Regional Manager, FCI Regional Office-Jharkhand, 9th Flour Mahabir Tower, Main Road Ranchi-834001,
4. The Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board –10 Bahadur Shar Zafar Marg New Delhi – 110002.
5. The Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board – IV, North Zone, 2nd Floor, Khadya Sadan, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
6. Adviser (Cost)/JS(P&FCI)/Director(Py)/ Director (Finance)/US (Finance)/US Policy -I
7. Guard File.

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India

18

Annexure

No.192 (22)/2012-FC.A/Cs.
Government of India
Department of Food and Public Distribution

Provisional Rate of Custom Milled Rice (FAQ) delivered to the Central Pool during the Kharif Marketing Season 2012-13 in respect of Government of Jharkhand and its agencies

*****

(Rs./qtl.)

S. No.	Item of incidentals	Par-boiled Rice	
		Common	**Grade A**
1.	**Minimum Support Price (MSP)**	1250.00	1280.00
2.	**Market fee** 1% of MSP *	12.50	12.80
3.	**Mandi Labour Charges** (Handling Charges)	7.09	7.09
4.	**Transportation charges**(for transportation of paddy from purchase centre to temporary storage point	12.83	12.83
5.	**Driage** @1% of MSP	-	-
6.	**Commission to Societies** @2.5% of MSP ^	31.25	32.00
7.	**Custody & Maintenance Charges** @Rs.2.08 per qtl. per month for 2 months #	4.16	4.16
8.	**Interest Charges** for 2 months @ 11.60% p.a. on MSP, Statutory charges, Mandi labour charges & Transportation Charges.	24.79	25.38
9.	**Milling Charges** excluding Rs. 5 per qtl. as transportation charges for 0-8 kms distance from mills on paddy as well rice.	20.00	20.00
10.	**Administration charges** @2.5% of MSP	31.25	32.00
11.	**Cost of 1 qtl. of milled paddy**	**1393.87**	**1426.26**
12.	**Out turn ratio**	68%	68%
13.	**Sub-Total**	**2049.81**	**2097.44**
14.	**Cost of new gunny bags** **	69.42	69.42
15.	**Gunny Depreciation for new gunnies$**	27.77	27.77
16.	**Cost of 1 qtl. Of rice**	**2147.00**	**2194.63**

* Payment of market fee would be subject to furnishing of relevant notification in proof.

#**Custody and Maintenance charges** would be released on production of a certificate by the State Govt. that these charges have been incurred by it.

**Includes branding charges, safety stitch, cess, education cess, CST, inspection charges, addl. Departmental charges, octroi, interest and railway freight and restricted to State Govt. claim.

^ Subject to condition laid down vide letter No. 192(4)/2003-FC.A/cs.(Vol.II)Dated 16.10.2012

$ Gunny depreciation provided is for procurement of paddy in new gunny bags.

Dated : 1.11.2012

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India